

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर विश्वाकर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 97/2024 G.C.M.S. No. 2024/429 दर्ज दिनांक : 25.10.2024

अपीलार्थिगणः

गंगासिंह पुत्र सावल सिंह जाति राजपुत निवासी खेतासर तहसील पोकरण
जिला जैसलमेर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. सतार खां पुत्र सांकर खाजी
2. अमीर खां पुत्र नीजाम खाजी
3. जमे खां पुत्र अजीता
4. इस्माईल खां पुत्र नीजाम खांजी नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता सायबी
5. नेने खां पुत्र नीजाम खोजी नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता सायबी
6. भुरेखा पुत्र अब्दा
7. मीले खां पुत्र सकार खां
8. मोहम्मद खां पुत्र अजीता
9. रीमजा पुत्र धना
10. सुभान खां पुत्र धना के कायम मुकाम
10/1 नमो बानु पुत्री सुभान खां पत्नि शेरू खां जाति मुसलमान
10/2 मुरादी बानु पुत्री सुभान खां पत्नि खाखर खां जाति मुसलमान
10/3 धली बानु पुत्री सुभान खां पत्नि इस्माईल खां जाति मुसलमान
11. सुभान खां पुत्र नीजाम खां
12. सामत खां पुत्र नीजाम खां
13. सायबी पत्नी स्व. नीजाम खां जातियान तमान मुसलमान निवासीगण
तमाम कोरीध्वेचा तहसील बागोडा जिला सांचौर
14. मीर मोहम्मद पुत्र हाजी गाजी वां जाति मुसलमान निवासी मीरगंज
खोखा तहसील बागोडा जिला सांचौर
15. विजयसिंह पुत्र टीकमसिंहजी जाति राजपुत निवासी बागोडा तहसील
बागोडा जिला सांचौर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय बागोडा
17. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोरसीम
तहसील बागोडा जिला सांचौर



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2019 बअनवान सतार खां बनाम अमीर खां में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 14.06.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार-

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. मो. साबिर हुसैन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 25.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2019 बअनवान सतार खां बनाम अमीर खान में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 14.06.2024 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53. एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 15 की सामलाती खातेदारी आराजी सरहद मौजा खोखा तहसील बागोडा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 816 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 817 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 818 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 819 रकबा 6.76 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 821 रकबा 0.74 हैक्टर कुल रकबा 9.06 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें रेस्पोंडेंट संख्या का 01 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 2 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 3 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 4 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 5 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 6 का 1/15 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 7 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 8 का 1/10 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 9 का 1/5 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 10 का 1/5 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 11 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 12 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 13 का 71/13590 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 14 का 1/15 हिस्सा, रेस्पोंडेंट संख्या 15 का 16/453 हिस्सा निहित है एवं उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्टस बंटवाडा करने का निवेदन किया जिस पर उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 को जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेंट संख्या 10 के कायम मुकाम 10/1 से 10/3 से खरीद कर ली गई है परन्तु अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में पक्षकार नहीं था जिससे वह धारा 96 सी०पी०सी बाबत अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर रहा है। दिनांक 08.02.2022 की आदेशिका में नोटिस अदम तामील प्राप्त होना दर्शाया गया है एवं पेशी दिनांक 19.04.2022 को रखी गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत



राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

किये जाने पर बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये पत्रावली दिनांक 08.03.2022 को तलब कर दिनांक 12.03.2022 को तहसीलदार बागोडा से प्राथमिक डिक्री का प्रस्ताव मंगवाये जाने का उल्लेखित करते हुये दिनांक 12.03.2022 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी एवं उसकी पालना रिपोर्ट में उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 12.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें अपीलान्त गंगासिंह को वादग्रस्त भूमि में से भूमि दिलवाई गई है परन्तु जब अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में पक्षकार ही नहीं था तो उसे अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादग्रस्त आराजी में भूमि दिया जाना भी अपने आप में सदिग्धता उत्पन्न करता है एवं अपीलान्त सम्पूर्ण आराजी के 1/5 हिस्से की खातेदारी जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद करने के पश्चात् भी उसे प्रत्येक खसरे में भूमि नहीं दिलाई गई है। बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2022 में प्रतिवादी संख्या 5 जो अपील में रेस्पोजेन्ट संख्या 6 है का नाम भुरे खां की बजाये मठार खां होना अंकित किया है परन्तु भुरे खां व मठार खां दोनो ही अलग अलग व्यक्ति है एवं स्वर्गीय अब्दा के पुत्र है एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा मठार खां को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर भी उसे निर्णय व डिक्री के जरिये भूमि दी गई है ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सदिग्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोजेन्ट संख्या 14 व 15 मीर मोहम्मद एवं विजयसिंह को खसरा नम्बर 821 सम्पूर्ण बंटवाडे के जरिये दिया गया है एवं अपीलान्त व अन्य रेस्पोजेन्ट को सामलाती आराजी में बंटवाडा कर भूमि दिलवाई गई है। जो खसरा नम्बर 821 की भूमि विजयसिंह व मीर मोहम्मद के हिस्से में सम्पूर्ण रखी गई है व भूमि मुख्य रास्ते से लगती एवं किमती भूमि है एवं अन्य खातेदारो को उक्त आराजी में कुछ भी भूमि नहीं दिलाये जाना भी उक्त बंटवाडा भी अपने आप में सदिग्ध होने से निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री के साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पत्रावली नहीं बनाया गया है एवं न ही तमाम पक्षकारो को पार्टिशन रूल्स के मुताबिक मौका निरीक्षण की कोई सूचना अथवा उस पर आपति करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण में से रेस्पोजेन्ट संख्या 10 के कायम मुकाम से उनका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के खरीद किया गया था परन्तु उसे खसरा नम्बर 821 में कोई भूमि नहीं दिया जाना भी विभाजन की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त दिनांक 16.10.2024 को वादग्रस्त पर अपने हिस्से की भूमि की देखभाल करने गया तो



रेस्पोजेन्ट विजयसिंह व मीर खां एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 सतार खा वादग्रस्त आराजी पर
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खड़े थे एवं खसरा नम्बर 821 की आराजी का व्यवसाय उपयोग करने एवं उची किमत पर बेचान करने की बात कर रहे थे जिस पर अपीलान्ट द्वारा उनसे पुछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमने विभाजन करवाकर उक्त आराजी हमारे हिस्से में दर्ज करवा ली है एवं अब हम इसका मनमर्जी से उपयोग उपभोग कर इसका बेचान कर देगे जिस पर दिनांक 16.10.2024 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय गया एवं वहा पर पुछताछ कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया एवं उसी रोज दिनांक 16.10.2024 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व उसकी नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं है अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 10 के कायम मुकाम से वादग्रस्त आराजीयात में से उनका सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा दिनांक 06.04.2023 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय कर लिया गया। अतः अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है। हमारे विनम्र मत में अपीलांट पंजीकृत विक्रय विलेख से वादग्रस्त आराजीयात का क्रेता होकर सहखातेदार दर्ज हो चुका था। अतः अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित व्यक्ति है जिसे सुना जाना आवश्यक है लिहाजा प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2024 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 8 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त दिनांक 16.10.2024 को वादग्रस्त पर अपने हिस्से की भूमि की देखभाल करने गया तो रैस्पोंडेन्ट विजयसिंह व गीर खां एवं रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 सतार खा वादग्रस्त आराजी पर खड़े थे एवं उन्होंने कहा कि हमने विभाजन करवाकर उक्त आराजी हमारे हिस्से में दर्ज करवा ली है एवं अब हम इसका मनमर्जी से उपयोग उपभोग कर इसका बेचान कर देगे जिस पर दिनांक 16.10.2024 को अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय गया एवं वहा पर पुछताछ कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया एवं उसी रोज दिनांक 16.10.2024 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व उसकी नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किए बिना एवं किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिविरुद्ध है। लिहाजा, ऐसे प्रकरण में विलंब सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण रैस्पोंडेन्ट के विरुद्ध दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.06.2024 को पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

12.05.2022 को वादी व प्रतिवादी के माफिक राजस्व रेकॉर्ड रास्ते की सुविधा को



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मध्य नजर रखते हुए सहखातेदारान के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउड्स विभाजन के प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 26.12.2023 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 96/2024 अनवान गंगा सिंह बनाम सतार खान में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2026 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संबंधित हल्का भू. अ. निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बागोड़ा को संबोधित करते हुए तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। जिस पर तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर करके अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार बागोड़ा द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं कर अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया साथ ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके पर उपस्थिति बाबत दिनांक व समय का निर्धारण करते हुए खातेदारान को सूचित नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अनुपालना नहीं की गयी तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की गयी। जो विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टियोग्य नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्नम मत है कि


अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांत बखूबी
राजस्व अपील प्राधिकारी
घाती

साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2019 बअनवान सतार खां बनाम अमीर खान में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 14.06.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 13.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(डॉ० मास्कर, विश्वी) गरी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

